



न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-60 / 2013-14

राम सकल सिंह वगैरह बनाम प्रमिला देवी

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
16/5/18	<p style="text-align: center;">आंशिक संशोधन आदेश</p> <p>आवेदक राम सकल सिंह द्वारा दिनांक 09.05.2015 को आवेदन दाखिल किया गया है।</p> <p>आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उक्त वाद में दिनांक 11.04.2018 को पारित आदेश में टंकण भूलवश पारित आदेश के प्रथम पृष्ठ पर मौजा-सपहुआ, थाना नं0 71 टंकित नहीं हुआ है, जिसे दिनांक 11.04.2018 को पारित आदेश में अंकित किया जाय।</p> <p>सिविल-प्रक्रिया संहिता-1908 के धारा-152 एवं 153 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में आवेदक के आवेदन पर विचारोपरान्त दिनांक 11.04.2018 को पारित आदेश के प्रथम पृष्ठ पर मौजा कॉलम में पलाकी के स्थान पर पलाकी/सपहुआ तथा थाना नं0 के कॉलम में 68 के स्थान पर 68/71 अंकित किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">  (वज्रैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना </p>	<p style="text-align: center;">  (वज्रैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना </p>